

**जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र / जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,  
उत्तरकाशी।  
मासिक आख्या, 2020**

संख्या- मेंमै/तेरह-आ.प्र./मासिक आख्या

दिनांक – मार्च,2020

दिनांक 07.03.2020 को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्खी टॉप से गंगोत्री तक बर्फवारी के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ है जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र ने बी0आर0ओ0 से समन्वय कर मार्ग को सुचारु किया गया जिसमें 01 जे0सी0बी, 01लोडर, 02व्हील लोडर तथा 40 मजदूरों के द्वारा बर्फ हाटने के कार्य किया गया।



दिनांक 14.03.2020 को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी-सुक्खी टॉप से आगे बर्फवारी के कारण अवरुद्ध हुआ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र के द्वारा बी0आर0ओ0 से समन्वय कर मार्ग को सुचारु किया गया।



दिनांक 14.03.2020 को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गंगनानी- सुनगर के बीच मलवा/बोल्डर आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ उक्त स्थान पर बी0आ0ओ0 द्वारा दोपहर 1:00 बजे सुचारु किया गया।



दिनांक 21.03.2020 को कोरोना वायरस सम्बन्धि बैठक आहुत की गयी थी जिसमे सम्बन्धित अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।





माह मार्च में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना (covid-19) को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है। कोरोना वायरस को रोकने हेतु दिनांक 23.03.2020 से लॉक डाउन लागू किया तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने व रोकथाम व बचाव के हेतु तैयारी के दुष्ठीगत आश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किसे जाने हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्वारन्टीन प्राटोकॉल के अनुसार बाहरी जनपदों से उत्तरकाशी आने वाले व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए विभिन्न संस्थान क्वारंटीन में रखे जाने की व्यवस्था की गयी।




कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला चिकित्सालय में आईसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया।



कोविड-19 को महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। दो चरणों में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के प्रति जागरूकता-प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उक्त प्रशिक्षण उत्तरकाशी मुख्यालय, डायट बडकोठ, विकासखण्ड कार्यालय पुरोला/नौगांव /मोरी एवं राजकीय इण्टर कॉलेज आराकोट में आयोजित किया गया। जियमें समाज के विभिन्न वर्गों (एन0एस0एस0 / एन0सी0सी0 / स्काउट गाइड रैंजरर्स रोबर्स) टैक्सी/वाहन चालक /आशा आंगनबाडी

/ ए0एन0एम0 / फोरेस्टगार्ड / पी0आर0डी0 / सुरक्षाकमी / दुकानदार / स्वयंसेवको / जन सामान्य / होटल कर्मियों कर्मचारियों तथा डिग्री कॉलेज के शिक्षको / छात्रो ) को प्रशिक्षित किया गया।



  
(देवेन्द्र सिंह पटवाल)  
आपदा प्रबन्धन अधिकार  
उत्तरकाशी।

**प्रतिलिपि:-**

निम्नाकिंतों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

1. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय, देहरादून ।
3. राज्य समन्वयक, एस0आर0डी0आर0 परियोजना, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय, देहरादून ।



(देवेन्द्र सिंह पटवाल)  
आपदा प्रबन्धन  
अधिकारी,  
उत्तरकाशी ।